

**श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय उपमुख्य (वाणिज्य—कर) मंत्री के साथ दिनांक  
17 दिसम्बर 2021 को आयोजित बैठक में उद्योग से संबंधित बिहार चैम्बर ऑफ  
कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से समर्पित प्रमुख बिन्दुएं**

1. उद्यमियों के प्रोत्साहन राशि से संबंधित जो भी लंबित मामले हैं उनका निपटारा शीघ्रतिशीघ्र किया जाना चाहिए क्योंकि इससे राज्य के उद्यमियों को परेशानी हो रही है एवं असंतोष बढ़ता जा रहा है।
2. औद्योगिक भूखंड के लिए अलग से कोई MVR का दर निर्धारित नहीं है । उक्त परिपेक्ष में हमारा सुझाव है कि औद्योगिक भूखंड का अलग वर्गीकरण करते हुए अलग MVR का निर्धारण हो जो कृषि योग्य भूमि के लिए निर्धारित MVR के आस—पास हो ।
3. राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना किया जाना चाहिए जिससे औद्योगिक भूमि उद्यमियों को आसानी से उपलब्ध हो सके।
4. BIADA ने जब भी जो भी जमीन का आवंटन किया है उसे Market Value की दर पर दिया है एवं उद्यमियों से उसकी कीमत भी लिया है । इसलिए allotment के पाँच साल पूरे होने पर लीज होल्डर की आवंटित भूमि को Free Hold किया जाना चाहिए । इस तरह का प्रावधान कई राज्यों में पहले से है ।
5. औद्योगिक क्षेत्र में केवल विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन किया जाता है । हमारा अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा परिभाषित जो भी उपक्रम एमएसएमई सेक्टर में आते हैं यथा — होस्पिटल, आई.टी.पार्क, होटल, वेयर हाउसिंग आदि के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित किया जाना चाहिए ।
6. कुछ औद्योगिक एरिया में Effluent Treatment Plant (ETP) स्थापना की बात हो रही है परन्तु औद्योगिक एरिया में बरसात के पानी के निकासी हेतु Drainage System ही नहीं है । Effluent को ETP तक कैसे ले जाएंगे । अतः ETP की स्थापना के पहले पानी के निकासी drainage system की ठोस व्यवस्था होनी चाहिए ।
7. **राज्य सरकार तथा इसके विभिन्न उपक्रमों में होनेवाली खरीद में स्थानीय उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए :-**

राज्य में उत्पादित सामग्रियों की सरकार के साथ—साथ सरकार के उपक्रम, सरकार द्वारा गठित एजेंसी सबसे बड़े खरीददार होते हैं । स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा समय—समय पर सामग्री खरीद अधिमानता नीति बनायी जाती रही है । हमारा सुझाव होगा कि इकाई के L1 नहीं रहने पर भी स्थायी इकाईयों को L1+ 10% अधिकता के मूल्य पर कम से कम 30% मात्रा स्थानीय इकाईयों से लिए जाने का प्रावधान करना चाहिए ।

साथ ही साथ स्थानीय इकाइयों को सरकार द्वारा घोषित सामग्री खरीद अधिमानता नीति का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय उद्योगों को रोकने के लिए निविदा में अनुभव एवं टर्नओवर की शर्तें लगा दी जाती है जिससे स्थानीय उद्योग वंचित रह जाते हैं। अतः यदि कोई विभाग द्वारा सरकार की खरीद नीति का पालन नहीं किया जाता है तो दण्ड का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

8. चाय उद्योग के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति तैयार किये जाने हेतु निवेदन

बिहार के सीमांचल जिलों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती हो रही है। इसलिए चाय उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति होनी चाहिए।

9. विद्युत संबंधित

हमारे राज्य में वर्तमान में लागू विद्युत दर काफी अधिक है और पड़ोसी राज्यों यथा झारखंड एवं बंगाल से तुलना की जाए तो यह दर 1½ से 2 गुणा है। उंची बिजली की दर की वजह से राज्य में अवस्थित उद्योगों की उत्पादन लागत पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा अधिक आती है और इस वजह से पड़ोसी राज्यों से आकर उत्पाद बिहार में बिक रहा है एवं राज्य के उद्योग बंदी की कगार पर आ रहे हैं।

इस संदर्भ में हमारा सरकार से सुझाव एवं आग्रह है कि बिजली की दर को पूर्णनिर्धारण करके पड़ोसी राज्यों के समकक्ष किया जाये अथवा उद्योगों को सब्सिडी के रूप में सहयोग राशि दी जानी चाहिए ताकि उद्योगों को बचाया जा सके।

उद्योगों को Level Playing Field देने के लिए One nation one tariff की भी बात हो रही है। इस संबंध में हमारा अनुरोध है कि इसे तुरन्त लागू किया जाना चाहिए या बिहार सरकार की ओर से Subsidise करके बिजली की दरों को पड़ोसी राज्य के बराबर किया जाना चाहिए।

10. विद्युत शुल्क

6% की दर से बिजली शुल्क बहुत अधिक है। यह पहले की तरह 2 पैसे प्रति यूनिट होना चाहिए या इसे वैटबल बनाया जाना चाहिए और देय जीएसटी से समायोजित किया जाना चाहिए।

11. सोलर पावर के प्रश्रय हेतु सब्सिडी

सरकार ने राज्य में सरकारी, गैर-सरकारी अथवा निजी भवनों के छत पर सोलर पैनल लगाकर उर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में अत्यधिक बढ़ावा देने हेतु लागत की 55% सब्सिडी अनुदान के रूप में देने की योजना लागू की थी।

हमारा सुझाव होगा कि उक्त योजना को लागू रखना चाहिए और इसका अत्यधिक प्रचार-प्रसार करने की भी जरूरत है ताकि लोग योजना का लाभ उठा सके।

12. पर्यटन संबंधित

(i) हमारे राज्य में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के श्रद्धालुओं का लगातार आना होता है। इस दिशा में पर्यटन की काफी सम्भावना है अतः इनके धर्म स्थलों के पास विकास कर पर्यटन को बढ़ावा देने की नितान्त आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में विशेष प्रयास करना चाहिए।

- (ii) बिहार में काफी संख्या में असम, नेपाल, भूटान, सिक्किम आदि से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं। अतः इस क्षेत्र के और विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिससे कि **राज्य में मेडिकल टूरीज का समुचित विकास हो सके**।

13. **पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित सुझाव**

- (i) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य के औद्योगिक इकाइयों से संबंधित यदि कोई नया प्रावधान लाया जाता है तो उसके कार्यान्वयन के पूर्व उद्यमियों को अच्छी तरह से Awareness Programme आयोजित कर जानकारी दिया जाना चाहिए क्योंकि अधिकतर उद्यमी कम पढ़े-लिखे हैं और उन्हें बहुत से कानूनों की जानकारी नहीं होती है।
- (ii) यदि किसी उद्योग द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन किया जाता है और किसी कारणवश वह आवेदन रद्द हो जाता है तो पुनः आवेदन करने पर पर्षद की ओर से फिर से निर्धारित शुल्क जमा कराने को कहा जाता है। जबकि उद्यमी की ओर से पहले ही आवेदन शुल्क जमा किया जा चुका है। एक ही कार्य के लिए दो बार शुल्क की मांग करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।
- (iii) आवेदन के साथ जो शुल्क जमा होता है उसमें Total Investment जोड़ा जाता है। इसकी जगह सिर्फ Plant & Machinery का ही Investment पर शुल्क की गणना होनी चाहिए।
- (iv) बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा राज्य के उद्योगों से संबंधित विभिन्न समाचार-पत्रों में जो विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है वह धमकी भरा होता है जिससे राज्य के उद्यमियों में भय व्याप्त हो जाता है और हतोत्साहित होते हैं अतः इस प्रकार के विज्ञापन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।
- (v) वर्तमान में चालू उद्योगों को National Green Tribunal (NGT) आदि जैसे किसी संगठन द्वारा तैयार किए गए नए मानदंड/विनियमन को लागू कर परेशान नहीं किया जाना चाहिए यदि वह इकाई बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सहमति/मंजूरी के बाद चल रही है। यदि नए मानदंड बनाए जाते हैं तो उसे नई इकाइयों पर ही लागू किया जाना चाहिए पुराने इकाइयों पर नहीं।

14. उद्योग की स्थापना, विकास एवं उन्नति के लिए पूंजी का होना अति आवश्यक है। पूंजी चाहे Term Loan हो, Working Capital हो या अन्य वित्तीय सुविधाएं हो, सभी बैंकों द्वारा ही दिया जाता है। बैंकों से ऋण के लिए उनके साथ Agreement/ Hypothecation /Mortgage document बनाया जाता है। 1 अगस्त 2012 के पूर्व बैंक से Loan document पर Hypothecation चार्ज 290/- रूपया प्रति हजार लगता था यानि यदि बैंक से कोई 10 करोड़ का ऋण लेता था तो उसे 2,90,000/- Stamp Duty लगता था।

सरकार ने इसे सुविधाजनक बनाने के लिए बिहार गजट नोटिफिकेशन न० 1/M-148/2011-1959 दिनांक 01.08.2012 के द्वारा Hypothecation के मामले में अधिकतम एक मुश्त 5000/- तथा Mortgage के मामले में एक मुश्त अधिकतम 20,000/- दिनांक 01.08.2012 से किया गया। लेकिन पुनः 21.07.2016 के प्रभाव से बिहार गजट नोटिफिकेशन संख्या

10/MO-Vividh-36/2016-3428 के द्वारा Hypothecation के मामले में बढ़ाकर 10 करोड़ तक के लिए 1,00,000/-, 10-50 करोड़ तक के लिए 3,00,000/- एवं 50 करोड़ से उपर के लिए 5,00,000/- निर्धारित किया गया है जो कि 21.07.2016 के पूर्व 5000/- था । अतः अनुरोध है कि Hypothecation charge को पूर्व की भांति किया जाना चाहिए ।

15. **खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उत्पाद के निर्यात हेतु संस्था का गठन**

हमारा राज्य उपजाऊ भूमि एवं मेहनतशील श्रम उपलब्ध रहने की वजह से खेती पर विशेष आश्रित है और इसके विकास की अपार संभावनाएँ भी विद्यमान हैं।

राज्य में फल, सब्जी, खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उत्पादों का निर्यात करके अर्थव्यवस्था में काफी योगदान प्राप्त किया जा सकता है।

इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि राज्य में निर्यात की सुविधा प्रदान करने हेतु एक सहयोग संस्था का गठन किया जाये ताकि जरूरतमंद लोगों को उनके उत्पादों के निर्यात हेतु आवश्यक जानकारी एवं सुविधा प्रदान की जा सके। इस संस्था की शाखाएँ क्षेत्रवार स्थापित की जानी चाहिए ताकि लोगों को अपने स्थान के नजदीक में ही सुविधा उपलब्ध हो सके।

16. **भूजल**

बिहार में भूजल की कोई समस्या नहीं है। भूजल का स्तर बहुत अधिक है। हम जहां भी जमीन खोदते हैं, वहां 5 से 10 फीट तक भी खुदाई करने पर जल निकलता है।

हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार राज्य में भूजल को विनियमित करने और उद्योगों को मजबूर करने की क्या आवश्यकता है, जो औपचारिकताओं का पालन करने के लिए बहुत कम हैं जिनकी बिहार राज्य में आवश्यकता नहीं है। साथ ही बिहार राज्य में उद्योगों द्वारा भूजल निकासी बहुत कम है।

हमारा विचार है कि भूजल का उपयोग करने वाले एमएसएमई को सीजीडब्ल्यूबी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने से छूट दी जानी चाहिए।

साथ ही अगर किसी क्षेत्र में पानी का स्तर 100 से 150 फीट से नीचे चला जाता है तो ही इसे लागू किया जाना चाहिए।

17. **स्पेशल स्टेटस**

बिहार अभी भी औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य है। बिहार में प्रति व्यक्ति विकास व्यय राष्ट्रीय औसत व्यय का लगभग आधा है। यह माल भाड़ा बराबरी के कारण वैध अधिकार से लंबे समय से वंचित होने के कारण है। भारत सरकार द्वारा बिहार को माल भाड़ा बराबर करने के कारण हुए कुल नुकसान का आकलन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। वर्तमान सरकार ने राज्य के विकास के लिए राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग की है। बुनियादी ढांचे के निर्माण और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाए।

18. **बैंक फाइनेंस**

बिहार में निजी क्षेत्र के निवेश का अभाव है। राज्य में बैंक ऋण प्रदान करने में बहुत आगे नहीं है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंक वित्त प्रवाह को बढ़ाया जाना चाहिए। दीर्घकालिक पूंजी और कार्यशील पूंजी दोनों को उद्योगों के अस्तित्व के लिए सरकारी हस्तक्षेप/पुनरुद्धार की आवश्यकता है।

19. विनिर्मित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कस्टम सुविधा के साथ एक शुष्क बंदरगाह अस्तित्व में आना चाहिए जिससे निर्यात और विनिर्माण में वृद्धि होगी।

20. **वाटर वेज**

हल्दिया और इलाहाबाद के बीच कार्गो की आवाजाही पटना के रास्ते गंगा नदी में जल मार्ग में सुधार करके शुरू कराया जाना चाहिए।

21. Pollution के कारण उद्योगों में कोयला का उपयोग कम करके उसकी जगह PNG (गैस) का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है परन्तु गैस बहुत ही महंगी है। चैम्बर द्वारा गैस पर से वैट घटाने एवं उसपर इनपुट टैक्स क्रेडिट देने हेतु वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार को पत्रांक 245 दिनांक 16 अगस्त, 2021 एवं पत्रांक 290 दिनांक 10 सितम्बर, 2021 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा अनुरोध किया गया है। इस पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

22. इन दिनों फ़ैक्ट्री में कोई भी छोटी-मोटी घटना होने पर उसके प्रोपराइटर पर कारखाना निरीक्षक द्वारा वगैर सत्यता की जाँच किए हुए मुकदमा कर दिया जा रहा है जो उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है और इससे उनकी परेशानियाँ और बढ़ जा रही है।

आपको यह भी विदित है कि राज्य में उद्योग बहुत ही कम संख्या में हैं और राज्य सरकार की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि राज्य में अधिकाधिक उद्योग लगे जिससे कि राज्य का आर्थिक विकास के साथ-साथ लोगों को रोजगार मिले। ऐसी परिस्थिति में यदि वर्तमान उद्यमियों पर इस प्रकार के मुकदमा किया गया तो उसका प्रतिकूल प्रभाव नये निवेशकों पर पड़ेगा।

23. केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को तय 33.88 करोड़ लीटर इथेनाल के कोटा को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ लीटर किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में अधिकाधिक इथेनाल की ईकाईयाँ लग सकें।

24. किसी भी फुड प्रोसेसिंग युनिट को लगाने के लिए सरकार द्वारा FSSAI के लाइसेंस को लेना अनिवार्य कर दिया है लेकिन बिहार में फुड प्रोसेसिंग टेस्टिंग मशीन उपलब्ध नहीं है इसके लिए युनिट लगाने वाले उद्यमियों को मुम्बई, हैदराबाद से टेस्टिंग कराना पड़ रहा है जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः हमारा सरकार से अनुरोध होगा कि बिहार में भी फुड प्रोसेसिंग टेस्टिंग मशीन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आशा है राज्य के औद्योगिक विकास के व्यापक हित में हमारे उपर्युक्त सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समस्या का कोई समाधान निकालने की कृपा करेंगे।

\*\*\*\*\*